2021/187

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 60/2021 तारीखरजूः– 5/8/2021

उनवानः– धर्मो बनाम मगनबाई

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
5/8/21	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान न0 1, 4, 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1081/1745/0.07, 801/1788/0.33, 802/0.44, 650/0.12, 655/0.11, 1052/0.30, 1074/0.21, 1102/0.26, 1371/0.27, 757/1697/0.08, 758/0.17, 1353/0.34, 1354/0.10, 430/0.19, 586/0.14, 635/0.06, 725/0.33, 744/0.22, 362/0.15, 37/0.09, 372/0.24, 654/0.22 ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तारीख पेशी 27.8.21 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/ विखंडित की जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.08.2021 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Pooja Meena Date: 2025.09.25 16:54:19 IST Reason: SelfAttested (दुर्गा प्रसाद मीणा) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	3975-79 5/8/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-

फर्द अहकाम

दिनांक	
28/7/25	पत्रावली प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर आज तलब की गई। प्रार्थी वकील ने इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। कि हम आपसी कारण से मध्य राजीनामा हो गया है हम आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र आवश्यक निगरानी खारिज फरमाया जावे।
	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील को सुना गया। निगरानी में सहमत हूँ। प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र आवश्यक निगरानी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर)
	उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:19 IST
Reason: SelfAttested